

(हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## अधिसूचना

सं०:वि०स०-विधायन-प्रा०/1-1/2018


शिमला 171004, दिनांक, 1 जनवरी, 2018

राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :

“मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आह्वान मंगलवार, 9 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूं।

आचार्य देवव्रत,  
राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश।”

आदेश द्वारा:-


  
सुन्दर सिंह वर्मा,  
सचिव,  
हि०प्र० विधान सभा।

पृ०स०: वि०स०:-विधायन-प्रा०/1-1/2018

शिमला-171004, 1 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
2. हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा/लोक सभा के सभी सांसद, संसद भवन, नई दिल्ली।
3. महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा, संसद भवन नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 2
5. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली।
7. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मंत्री/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, हिमाचल प्रदेश।
8. सचिव, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
10. प्रधान सचिव/सचिव, समस्त विधान मण्डल भारत वर्ष में।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
12. निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन शिमला-4। उनसे निवेदन है कि वे इस समाचार को एक से अधिक प्रसारणों में प्रसारित करने की कृपा करें।

  
(सुन्दर सिंह वर्मा),  
सचिव,  
हि०प्र० विधान सभा।

## HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018

Shimla-171004, Dated the 1<sup>st</sup> January, 2018


### NOTIFICATION

The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 31<sup>st</sup> December, 2017 is hereby published for general information:-

“मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आह्वान मंगलवार, 9 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूँ।”

आचार्य देवव्रत,  
राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश।”

By Order:-


  
Sunder Singh Verma,  
Secretary,  
H.P. Vidhan Sabha.

Endst. No VS-Legn.-Pri./1-1/2018

Shimla-4, Dated the 1<sup>st</sup> January, 2018.

Copy for information to:-

1. All Members of Himachal Pradesh Vidhan Sabha.
2. All Members of Parliament from Himachal Pradesh.
3. The Secretary General, Rajya/Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
4. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. The Secretary to Government of India, Ministry of Parliamentary affairs, Parliament House, New Delhi-110001.
6. The Secretary, Election Commission of India, Nirwahan Sadan, Ashoka Road, New Delhi.
7. The Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister/Private Secretaries to all Ministers, Shimla-2
8. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
9. The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
10. The Principal Secretaries/Secretaries of all State/Union Territories Legislatures in India.
11. All the Heads of Departments of Himachal Pradesh.
12. The Station Director, All India Radio/Doordarshan, Shimla-4 with the request to kindly announce the same in more than one News Bulletin.

  
(Sunder Singh Verma)  
Secretary,  
H.P. Vidhan Sabha.